भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3213
18 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों

3213. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुरः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के गन्ना, केला, आम, बेरी, फल और सब्जियों में समृद्ध खेरी जिले में एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है,
(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) किसानों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) स्वयं किसी भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना नहीं करता है। तथापि, यह अपनी दो केंद्र क्षेत्र की योजना यथा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से ऐसे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है। ये योजनाएं क्षेत्र या राज्य विशिष्ट नहीं हैं बल्कि मांग आधारित हैं और उत्तर प्रदेश सहित देश भर में लागू की जा रही हैं।

मंत्रालय उत्तर प्रदेश के खीरी जिले सहित संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार गन्ना, केला, आम, बेरी, फल और सब्जी आधारित उद्योगों के प्रसंस्करण सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए संभावित उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

परियोजना निष्पादन एजेंसी (पीईए) / कार्यान्वयन एजेंसियाँ / संगठनों जैसे सरकारी/ पीएसयू / संयुक्त उद्यम / गैर सरकारी संगठन / सहकारी समितियाँ / स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) / किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) / किसान उत्पादक कंपनियाँ (एफपीसी) / निजी क्षेत्र की कंपनियाँ / साझेदारी वाले फार्म / स्वामित्व वाले फार्म / व्यक्ति आदि एमओएफपीआई की योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, एमओएफपीआई ने दिनांक 31.10.2025 तक उत्तर प्रदेश राज्य में 1898.81 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत और 449.30 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता वाली 84 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत, एमओएफपीआई ने दिनांक 31.10.2025 तक उत्तर प्रदेश राज्य में 1157.57 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ 27 प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत दिनांक 31.10.2025 तक उत्तर प्रदेश राज्य में सहायता के लिए 746.26 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ 20575 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को अनुमोदित किया गया है, जिसमें से 38.37 करोड़ रुपये की सब्सिडी वाले 358 सूक्ष्म खाद्य उद्यम उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में अनुमोदित हैं।

*****